



भारत सरकार

Government of India

खान मंत्रालय

Ministry of Mines भारतीय खान ब्यूरो

Indian Bureau of Mines

Mine Code: 38RAJ03007

माखुपुरा औद्वोगिक क्षेत्र,

Makhupura, Industrial Area अजमेर.-305 002 (राजस्थान)

Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

दिनांक: 09.11.2020

संख्या : RAJ/BMSW/LST-6/Vol.-II

र्रजेंट, पार्तीपुरा चूनापत्थर खान,

मेसर्स द इन्डिया सीमेंट लिमिटेड (पूर्व नाम त्रिनेत्रा सीमेंट लिमिटेड)

बांसवाडा वर्क्स,पोस्ट-वजवाना,जिला-बांसवाडा

327025 (राजस्थान)

Email-bans\_mines@indiacements.co.in,joshi.vc@indiacements.co.in

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your

Limestone Mine (M.L. No. 1/93, Lease area 65.82 Hect.) in Banswara District of Rajasthan State.

महोदय.

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 13.10.2020 & 14.10.2020 by the undersigned in presence of Shri

Sh Vined Chandra Joshi Agent:

h Vinod ('h	andra IOSNI Ageill.
Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modified Mining Plan (Approved on 21.05.2018): -  (i) No preventative measures i.e. garland drain & retaining wall made along the waste dump (Located along the lease boundary Q-B1 & B1-B2).  (ii) Large quantity of Limestone boulders were lying all around on the benches in Pit during the inspection.
Rule 45(7)	In annual return 2019-20 following descripencies were observed:  1) In Part VII cost of production per tonne of mineral, the amount of DMF & NMET have not been taken into account.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

आपकी खदान की सारी संकियाएं बंद की जा सकती है।

आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है। 03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

> वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा) ।

2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।

3 खिन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, बाँसवाड़ा।

4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो